छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 490/2008

1. श्री भजनदास हबलानी, – *अपीलार्थी*
ए–14, विजय विहार, तापड़िया कम्पाउण्ड,
वल्लभ नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थायें,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 20 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी भजनदास हबलानी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर के समक्ष दिनांक 11.01.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें दिनांक 18.01.2007 को जानकारी प्रदाय की गई, किन्तु उक्त जानकारी अपूर्ण एवं असत्य होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर दिनांक 20.12.2007 को यह आदेश दिया गया कि अतिरिक्त जानकारी चाहिये तो आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं, उक्त कार्यवाही से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 08.05.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में बीच में संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराने तथा शेष जानकारी 15 दिवस में देने के निर्देश दिये गये थे । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी में शिकायतों के संबंध में जॉच की जा रही है, किन्तु उप पंजीयकों के विरूद्ध शिकायतों के बारे में श्री आर0के0 साहू, सहकारिता निरीक्षक को जॉच दी जाने के बाद उनके द्वारा कहा गया कि उनके वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध जॉच है, अतः किसी अन्य अधिकारी से जॉच करायी जावे । तत्पश्चात् आयोग द्वारा पंजीयक को निर्देश दिये गये कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से एक माह में जॉच कराई जावे और जॉच प्रतिवेदन से अपीलार्थी को अवगत कराया जावे । तत्पश्चात् जॉच, प्रभारी संयुक्त पंजीयक को दी गई, किन्तु उनके बारे में भी अपीलार्थी ने बताया कि वे उप पंजीयक होकर प्रभारी संयुक्त पंजीयक है, तत्पश्चात् पंजीयक को निर्देश दिये गये कि अपर पंजीयक से जॉच कराकर एक माह में प्रतिवेदन लेकर कार्यवाही करें, किन्तु एक माह तक अपर पंजीयक द्वारा जॉच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया । अंतिम सुनवाई दिनांक को अपर पंजीयक भी उपस्थित हुये थे और उनके द्वारा संभवतः भ्रमवश यह मौखिक तर्क दिया गया था कि उन्हें आयोग द्वारा जॉच हेतु निर्देशित करने का अधिकार नहीं है, किन्तु उन्हें बताया गया कि आयोग द्वारा अधिनियम में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत ही पंजीयक को निर्देश दिये गये थे । अतः अब यह प्रकरण पंजीयक, सहकारिता के ध्यान में लाया जाता है और उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि वे स्वयं अपीलार्थी, अपर पंजीयक तथा अन्य संबंधित अधिकारी

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

को समस्त रिकार्ड सहित अपने समक्ष बुलायें और अपर पंजीयक जॉच पूर्ण कराकर 15 दिवस में जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और उनके द्वारा जॉच प्रतिवेदन के साथ–साथ जो भी जानकारी शेष रही हों, उसे अपीलार्थी को 30 दिवस के अन्दर निःशुल्क दिलवाया जाना सुनिश्चित करें । प्रकरण में कोई दुर्भावना नहीं होने से किसी प्रकार की शास्ति की कार्यवाही आवश्यक नहीं है, किन्तु प्रकरण में हुये विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 400/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com